



सत्यमेव जयते

अंतरिक्ष विभाग द्वारा डी.टी.एच. सेवा हेतु उपग्रह  
क्षमता के प्रबंधन  
पर  
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन



संघ सरकार  
(अंतरिक्ष विभाग)

2014 की संख्या 22  
(अनुपालन लेखापरीक्षा)



## विषय-सूची

	पैरा संख्या	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		iii
कार्यकारी सार		v
<b>अध्याय - 1 : प्रस्तावना</b>		
डी.टी.एच. सेवा	1.1	1
डी.टी.एच. सेवा हेतु लाइसेंस की मंजूरी	1.2	2
उपग्रह क्षमता आवंटन	1.3	4
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.4	6
लेखापरीक्षा मानदंड	1.5	6
लेखापरीक्षा क्षेत्र और कार्यप्रणाली	1.6	7
लेखापरीक्षा अवलोकनों का संगठन	1.7	7
आभार	1.8	7
<b>अध्याय - 2 : उपग्रह क्षमता की योजना</b>		
सेटकॉम नीति का निर्माण	2.1	9
डी.टी.एच. उपग्रहों की योजना और प्राप्ति	2.2	11
डी.टी.एच. सेवा प्रदाताओं को इनसेट प्रणाली की ओर वापिस लाने की डी.ओ.एस. की असमर्थता	2.3	26
<b>अध्याय - 3 : उपग्रह क्षमता का आवंटन</b>		
आई.सी.सी. द्वारा उपग्रह क्षमता निर्धारित नहीं करना	3.1	30
उपग्रह क्षमता के आवंटन में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की भूमिका	3.2	30
आई.सी.सी. एवं डी.ओ.एस. द्वारा उपग्रह आवंटन प्रक्रिया विकसित नहीं करना	3.3	31
डी.ओ.एस. द्वारा अपनाई गई 'पहले आओ पहले पाओ' नीति में अनियमितताएँ	3.4	32

	पैरा संख्या	पृष्ठ संख्या
<b>अध्याय - 4 : उपग्रह क्षमता को पट्टे पर देना</b>		
ट्रांसपॉंडर पट्टा समझौता करने के लिए संस्थागत क्रियाविधि	4.1	37
ट्रांसपॉंडर पट्टे समझौते में सरकार के वित्तीय हितों की रक्षा नहीं	4.2	38
एक के बदले एक समझौतों से बकाया देय राशि	4.3	46
<b>अध्याय - 5 : निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं</b>		49
<b>परिशिष्ट</b>		
<b>परिशिष्ट I</b> - डी.टी.एच सेवा प्रदाताओं को उपग्रह क्षमता के आवंटन में घटनाओं का क्रम		55
<b>परिशिष्ट-II</b> - उपलब्ध उपग्रह वार क्षमता और वर्षवार आवंटन		60
<b>संदर्भ शब्द संग्रह</b>		64